

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक- 06/03/2024

संख्या-14/पद0-216/2022-3962/सा0प्र0-बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव, अपर समाहर्ता एवं मूल कोटि स्तर के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री विजय कुमार 197/23 शेखपुरा	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, जमुई।	अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भोजपुर। (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
2.	श्री विधु भूषण चौधरी, 243/23, पटना	अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भोजपुर।	संयुक्त सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना।
3.	श्री सुभाष चन्द्र मंडल, 474/23, मधुबनी	उप महाप्रबंधक (मुख्यालय), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0, पटना।	अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दण्डाधिकारी, जमुई।
4.	श्री राजीव रंजन कुमार सिन्हा, 616/23, पटना	विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना।	उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना। (अपर समाहर्ता स्तर में उत्क्रमित)
5.	श्री अविनाश कुमार, 809/23, पटना	अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पीरो, भोजपुर।	अनुमण्डल पदाधिकारी, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण।

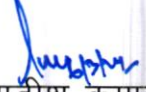
2. अनुमण्डल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी को दंड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। साथ ही संबंधित अनुमण्डल क्षेत्र के लिए उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने के लिए भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।



3. सभी स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारी बिना पारगमन अवधि का उपभोग किये नव पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे।

4. उपर्युक्त अधिसूचना से आच्छादित वैसे पदाधिकारी जिनका अन्यत्र पदस्थापन नहीं हुआ है, वे पदस्थापन की प्रतीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में योगदान करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(जगदीश कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/पद0-216/2022- 3962 /सा0प्र0, पटना-15, दिनांक- 06/03/2024

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त/सम्बन्धित जिला पदाधिकारी/सम्बन्धित पदाधिकारी/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8, 12, 27 एवं चारित्री कोषांग (बि0प्र0से0)/प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।